रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 966] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 23, 2003/कार्तिक 1, 1925
No. 966] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 23, 2003/KARTIKA 1, 1925

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2003

का.आ. 1227(अ).—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए, भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं0 का.आ. 729 (अ) तारीख 21 अगस्त, 1995 का संशोधन करने के लिए मछली और मछली उत्पादों में पदार्थ जिनका एनाबोलिक प्रभाव है और अप्राधिकृत पदार्थ, पशु चिकित्सा ओषधि और सदूषक, और पर्यावरणीय संदूषकों का उपयोग प्रतिषिध्द करने के लिए कतिपय प्रस्ताव, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अधीन बनाए गए निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के उपनियम (2) के नियम 11 की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग के आदेश सं0 का.आ.1035 (अ) तारीख 9 सितम्बर 2003 के द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण भाग - 2 , खंड - 3, उपखंड - (ii) में प्रकाशित किया गया था,

और उन सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, राजपत्र में उक्त आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार निर्यात (क्वालिटी नियत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्यात निरीक्षण परिषद से परामर्श करने के पश्चात, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के ताजी हिमशीतित और प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पादों से संबंधित उक्त आदेश का.आ. 729 (अ) तारीख 21 अगस्त, 1995 में निम्नलिखित

3126 GI/2003

संशोधन करती है, जो राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रभावी होंगे, अर्थात्,-

1. उक्त आदेश की, अनुसूची 1 में पैरा (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(झ) झींगी, झींगा या मछली की किसी अन्य किस्म और मछली उत्पादों के पूर्व प्रसंस्करण या प्रसंस्करण की किसी इकाई में या उनके खाद्य का विनिर्माण करने वाली किसी इकाई में या जूविनाइल या लार्वा या नौपली के उत्पादन के लिए किसी संवर्धन या किसी अंडज उत्पत्तिशाला में निम्नलिखित पदार्थ जिनका एनाबोलिक प्रभाव है, अप्राधिकृत पदार्थ अर्थात पशु चिकित्सा ओषधि और संदूषकों और अन्य पर्यावरणीय संदूषकों में से किसी का उपयोग प्रतिषिध्द होगा, अर्थात् :-

(i) पदार्थ जिनका एनाबोलिक प्रभाव है, और अप्राधिकृत पदार्थ, अर्थात् :-,

(क) स्टीलबैनस, स्टीलबैन डेरीरीवेटिंव्स और उनके लवण और ईस्टर्स ,
(ख) स्ट्रीरोइड्स ।

(ii) पशु चिकित्सा ओषधि और संदूषक पदार्थ अर्थात् :-,

(क) प्रतिजीवाणुक पदार्थ क्यूनोलोन्स सहित,
(ख) एनथेलमिन्टिक्स।

(iii) अन्य पदार्थ और पर्यावरणीय संदूषक अर्थात्:- ,

(क) आरगेनोक्लोरोन कम्पाउंड पीसी बीएस सहित,
(ख) मायोटोक्सीन्स,
(ग) डाईज ।

परन्तु क्रम सं0 (i) (ख), (ii) (क), और (ख), की मदों का चिकित्सीय या प्राणि तकनीकी के प्रयोजन के लिए उपयोग हो तो पशु चिकित्सा सर्जन या मत्स्य वैज्ञानिकों द्वारा प्राधिकृत किया जा सकेगा।

[फा. सं. 6/2/2001-ई आई एंड ई पी]

एम.वि.पि.सि. शास्त्री, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल आदेश भारत के राजपत्र में का.आ. 729(अ) तारीख 21 अगस्त, 1995 द्वारा प्रकाशित किया गया और जिसे बाद में का.आ. 792(अ) तारीख 17 अगस्त, 2001, का.आ. 722(अ) तारीख 10 जुलाई, 2002 और का.आ. 464(अ) तारीख 24 अप्रैल, 2003 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 23rd October, 2003

S.O. 1227(E).—Whereas, for the development of the export trade of India, certain proposals for amending the order No. S.O. 729(E) dated 21st August 1995, of the erstwhile Ministry of Commerce, Government of India for prohibiting the use of substances having anabolic effect and unauthorised substances, veterinary drugs and contaminants, other substances and environmental contaminants in fish and fishery products were published in part II, sub-section (ii) of section 3 of the Gazette of India, Extraordinary, vide Order of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, under S.O. 1035(E) dated the 9th September, 2003, as required under sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 made under the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963;

And, whereas, the objections and suggestions were invited from all the persons likely to be affected thereby within a period of thirty days from the date of publication of the said Order in the Official Gazette;

And, whereas the objections and suggestions received from the public on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, after consulting the Export Inspection Council, hereby makes the following amendments in the said Order No. S.O. 729(E) dated 21st August, 1995 relating to Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products which shall take effect on the date of its publication in the Official Gazette, namely: -

1. In the said Order, in Schedule I after clause (g), the following shall be inserted, namely:-

"(h) the use of any of the following substances having anabolic effect and unauthorised substances, veterinary drugs and contaminants and other substances and other environmental contaminants shall be prohibited in the culture of, or in any hatchery for producing the juveniles or larvae or nauplii of, or any unit manufacturing feed for, or in any unit pre-processing or processing, shrimps, prawns or any other variety of fish and fishery products, namely:-

(i) substances having anabolic effect and unauthorised substances, namely:-

(a) stilbenes, stilbene derivatives and their salts and esters;
(b) steroids.

(ii) Veterinary drugs and contaminants, namely:-

(a) antibacterial substances, including quinolones;
(b) anthelmintics.

(iii) Other substances and environmental contaminants namely:-

(a) organochlorone compounds including PcBs;
(b) mycotoxins;
(c) dyes.

Provided that the use of items at sl. No. (i)(b), (ii)(a) and (b) for therapeutic or zoo-technical purposes may be authorised by qualified Veterinary surgeons or Fishery Scientists."

[F. No. 6/2/2001-EI & EP]

M.V.P.C. SASTRY, Jt. Secy.

Note :—The principal order was published in the Gazette of India *vide* S.O. 729(E) dated 21st August, 1995 and subsequently amended vide S.O. 792(E) dated 17th August, 2001, S.O. 722(E) dated 10th July, 2002 and S.O. 464(E) dated 24th April, 2003.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.